

Ref: ISD/18-19/373

26th February, 2019

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code 532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
--	---

Dear Madam /Sir,

Subject: Notice for Extraordinary General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Tuesday, 26th March, 2019

We refer to our letter ISD/18-19/372 dated 26th February, 2019 informing about decision of Board of Directors of the Bank to hold **Extraordinary General Meeting (EGM)** of shareholders of the Bank on **Tuesday, 26th March, 2019** at Mumbai for seeking approval of Shareholders for Issue of 52,15,62,658 new equity shares on preferential basis to the Government of India (President of India), for an amount aggregating upto Rs.4,112 crore (including premium).

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose Notice of EGM scheduled to be held on Tuesday, 26th March, 2019 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020.

This is for your information and appropriate dissemination please.

Thanking you.

Yours faithfully,

Mangesh Mandrekar
(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Encl.: As above

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक : मंगलवार, 26 मार्च, 2019 समय : पूर्वाह्न 11.00 बजे
Date: Tuesday, March 26, 2019 Time : 11.00 A.M.

स्थान :

रामा एण्ड सुंदरी वाटुमल आडिटोरियम,
विद्यासागर, प्रिन्सिपल के. एम. कुंदनानी चौक,
124, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट,
मुंबई - 400020

Venue :

Rama & Sundri Watumull Auditorium,
Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk,
124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate,
Mumbai - 400020

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) **मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2019 को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड सुंदरी वाटुमल आडिटोरियम, विद्यासागर, प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020** में निम्नलिखित कारोबार के लिए आयोजित की जाएगी :

भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु. 4112 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी करना.

विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

“संकल्प किया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (**“अधिनियम”**) के प्रावधानों, तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 यथा समय-समय पर संशोधित (**“विनियमन”**), भारतीय रिजर्व बैंक (**“आरबीआई”**), भारत सरकार (**“जीओआई”**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (**“सेबी”**) और/या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूँजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2018 (**“आईसीडीआर विनियम”**) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियम तथा समय-समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2015 (**“लिस्टिंग विनियम”**) के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद **“दि बोर्ड”** कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अध्यक्षीन रु 10/- (रुपए दस मात्र) मूल्य के 52,15,62,658 (बावन करोड़ पंद्रह लाख बासठ हजार छह सौ अठ्ठावन), इक्विटी शेयर रु. 78.84 (रुपये अठहत्तर एवं चौरासी पैसे मात्र) प्रति शेयर प्रीमियम के साथ रु. 68.84 (रुपये अड़सठ एवं चौरासी पैसे मात्र) प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित करने तथा अधिमान आधार पर भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति) को कुल रु. 4,112 करोड़ (रुपये चार हजार एक सौ बारह करोड़ मात्र) के प्रतिफल के लिए आबंटित करने की अनुमति प्रदत्त है और प्रदान की जाती है.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि अधिमानी निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि, आईसीडीआर विनियमन के अनुसार उक्त उल्लिखित इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि **शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019** होगी.”

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा.”

“पुनः संकल्प किया कि जारी किए जाने वाले कथित नए इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे.”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.”

“पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कोई भी एक कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी को अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है.”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार



(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 26 फरवरी, 2019

नोट:

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियम 1998, यथा संशोधित, के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा। इस सूचना के अनुलग्नक फार्म "बी" के अलावा प्रॉक्सी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में **कंपनी सचिव को निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन पूर्व** अर्थात् **बुधवार, 20 मार्च, 2019** को बैंक के कार्य-समाप्ति पर सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, उक्त पते पर बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व** अर्थात् **बुधवार, 20 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।

4. उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ भेजा गया है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची भरें और दी गयी जगह पर हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें। परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पत्र पर "परोक्षी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए।

5. कट ऑफ तारीख

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 यथा संशोधित के क्रम में शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार की तिथि **मंगलवार, 19 मार्च, 2019** मानी जाएगी।

6. ई-वोटिंग

I. लिस्टिंग विनियमन के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ईजीएम में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कारोबार की सुविधा प्रदान की गई है।

II. ईजीएम ("रिमोट ई-वोटिंग") स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग से शेयरधारकों द्वारा वोट करने की सुविधा **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")** द्वारा प्रदान की जाएगी।

III. वोटिंग की सुविधा ईजीएम में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।

IV. जिन शेयरधारकों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु वे दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे।

V. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार दिनांक 23 मार्च, 2019 प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)** से प्रारंभ होकर **सोमवार दिनांक 25 मार्च, 2019 सायं 5.00 बजे (आईएसटी)** तक रहेगी। बैंक के शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख **मंगलवार दिनांक 19 मार्च, 2019** को फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयरधारण करते हों, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बंद कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

VI. ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका निम्नानुसार होगा :

- (i) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-इन करना होगा।
- (ii) शेयरधारक/सदस्य पर क्लिक करें।

- (iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें
- (क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,
- (ख) एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी (DP) आईडी के बाद 8 अंकों का ग्राहक/क्लाइंट आईडी,
- (ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ रजिस्टर किया गया फोलियो नंबर प्रविष्ट करना होगा।
- (iv) इसके बाद दिए गए चित्र के अनुसार सत्यापन करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- (v) यदि आप डिमैट रूप में शेयर धारण करते हैं और आपने पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग के लिए www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर वोट किया है, तो आपका मौजूदा पासवर्ड प्रयुक्त होगा।
- (vi) यदि आप पहली बार के यूजर हैं, तो निम्नानुसार आगे बढ़ें:

पैन (PAN)	- आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमरिक पैन (PAN) प्रविष्ट करें (डिमैट एवं भौतिक दोनों प्रकार के शेयरधारकों के लिए लागू) - जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना पैन (PAN) अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि पैन (PAN) फील्ड में सिक्वेस नंबर का उपयोग करें, जो कि पोस्टल बैलट फॉर्म पर मुद्रित है या सीडीएसएल द्वारा आपको प्रेषित ई-मेल में दिया गया है।
लाभांश प्राप्तकर्ता बैंक का विवरण या जन्म तिथि (DOB)	- लॉग-इन करने के लिए लाभांश प्राप्तकर्ता बैंक का विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) जैसा आपके डिमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसे प्रविष्ट करें। - यदि दोनों ही जानकारीयाँ डिपोजिटरी या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, तो लाभांश प्राप्तकर्ता बैंक के विवरण वाले फील्ड में अनुदेश(iii) में उल्लिखित सदस्य आईडी/फोलियो नंबर प्रविष्ट करें।

- (vii) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि के बाद, “SUBMIT” टैब पर क्लिक करें।
- (viii) भौतिक रूप से शेयर धारित सदस्य सीधे कंपनी सेलेक्सन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डिमैट रूप में शेयर धारित सदस्य, ‘पासवर्ड क्रिएशन’ मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां नए पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यतः अपने लॉग-इन पासवर्ड की प्रविष्टि करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि डिमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का प्रयोग, किसी अन्य कंपनी, जिसमें वो वोट देने के पात्र हैं, के संकल्प के लिए वोटिंग में कर सकेंगे बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के द्वारा वोटिंग कराने का चयन करे। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें एवं अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्यों के लिए, इस सूचना में दिये गए संकल्पों में केवल ई-वोटिंग के लिए ही विवरणों का उपयोग किया जा सकता है।
- (x) वोट देने के लिए “यूनियन बैंक ऑफ इंडिया” के ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “संकल्प विवरण” (रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन) दिखाई देगा एवं इसी के साथ-साथ वोटिंग विकल्प “हाँ/नहीं” प्राप्त होगा। स्वेच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हाँ यह दर्शाता है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- (xii) सम्पूर्ण संकल्प विवरण देखने के लिए “रिजोल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- (xiii) संकल्प का चयन करने के उपरांत आपने वोटिंग करने का निर्णय ले लिया है, तो “SUBMIT” पर क्लिक करें। तदुपरांत एक पुष्टीकरण बॉक्स आपको दिखाई देगा। यदि आप वोटिंग की पुष्टि करना चाहते हैं तो “OK” पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट को बदलने के लिए “CANCEL” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।
- (xiv) संकल्प में एक बार अपना वोट “पुष्टि” (CONFIRM) करने के बाद आपको वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xv) वोटिंग पृष्ठ में “Click here to print” पर क्लिक कर आप दिये गए वोट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- (xvi) यदि कोई डिमैट खाता धारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाता है, तो उसे अपनी यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन कूट प्रविष्टि कर **Forgot Password** पर क्लिक करना होगा एवं सिस्टम द्वारा मांगे गए विवरणों को अंकित करना होगा।
- (xvii) शेयर धारक एंड्रोएड आधारित मोबाइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल के एम-वोटिंग मोबाइल एप से अपना वोट दे सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर से एम-वोटिंग एप डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल एप से वोट करते समय कृपया एप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

(xviii) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर व्यक्तिगत शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) और अभिरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करके स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करें.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें. लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड के माध्यम से एक अनुपालन यूजर बनाया जाना चाहिए. इससे अनुपालन यूजर जिस खाते से वोट करना चाहता है, उसको लिंक करने में वह सक्षम हो जाएगा.
- लॉग-इन लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल किया जाए, जिससे खाते का अनुमोदन हो जाने पर वे अपना वोट देने में सक्षम होंगे.
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु सिस्टम में उसकी पीडीएफ प्रति अपलोड की जाए.

(xix) ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने पर, हेल्प सेक्शन में www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ लें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें.

- VII. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़ी समस्त शिकायतें श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्लुचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई 400013 को की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जा सकती हैं या 1800225533 कॉल कर दर्ज की जा सकती हैं.
- VIII. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तारीख को शेयर होल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ईजीएम में वोटिंग के लिए पात्र होगा.
- IX. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, एडवोकेट एंड कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर, श्री अंकुर कुमार, मेसर्स ईजी लॉ को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है. वे ईजीएम में ई-वोटिंग के लिए अन्य शेयरधारक के साथ जांचकर्ता के रूप में भी कार्य करेंगे.
- X. ईजीएम शुरू होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहाँ उपस्थित शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- XI. ईजीएम में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा ईजीएम की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट, यदि कोई हो, जांचकर्ता द्वारा बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.
- XII. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल की वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. ये परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2018 के अधीन अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन,:

(ए) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बासेल III मानदंडों के अनुरूप बैंक की पूंजीगत स्थिति के स्तर को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से बैंक, भारत सरकार को अधिमानीत आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन के जरिए पूंजीगत निधि जुटाना चाहता है, जिसके लिए वह अपने शेयरधारकों से अनुमोदन चाहता है.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2019 के जरिए सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष में बैंक को रु.4,112 करोड़ की पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत सरकार के पक्ष में जारी अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन के रूप में होगी. भारत सरकार ने दिनांक 21 फरवरी 2019 को उक्त राशि प्रेषित कर दी है, जिसे बैंक में "लंबित आबंटन आवेदन राशि" मद में रखा गया है.

(बी) बैंक प्रस्तावित अधिमानी निर्गम में भारत सरकार को अधिकतम **52,15,62,658 (बावन करोड़ पंद्रह लाख बासठ हजार छह सौ अठ्ठावन)** इक्विटी शेयर जारी करेगा.

(सी) सम्पूर्ण अधिमानी निर्गम भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया जाएगा. निर्गम मूल्य का निर्धारण आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 164 (1) के अनुसार किया जाएगा. निर्गम मूल्य हेतु सुसंगत तिथि **शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019** को ध्यान में रखते हुए **रु.10.00 (रुपये दस मात्र)** प्रति शेयर अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर **रु.68.84 (रुपये अड़सठ एवं चौरासी पैसे मात्र)** प्रति शेयर प्रीमियम राशि सहित **रु.78.84 (रुपये अठहत्तर एवं चौरासी पैसे मात्र)** प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर जारी करने हेतु निर्धारित किया गया है.

(डी) अधिमानी निर्गम से पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का पैटर्न :

क्र.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	भारत सरकार	78,79,14,581	67.43	1,30,94,77,239	73.98
2.	अन्य (पब्लिक)	38,06,58,800	32.57	46,06,58,800	26.02
	कुल	1,16,85,73,381	100.00	1,77,01,36,039	100.00

नोट : बैंक, यूनियन बैंक - ईएसपीएस के अंतर्गत 14 फरवरी, 2019 को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों को 8,00,00,000 (आठ करोड़) तक नए इक्विटी शेयर जारी करने की प्रक्रिया में है। आम जनता द्वारा धारित शेयरों की संख्या एवं ईएसपीएस के अनुसार शेयर जारी होने के पश्चात शेयर धारिता के प्रतिशत की गणना ईएसपीएस के अधीन जारी अधिकतम शेयरों यथा 8,00,00,000 को ध्यान में रखकर किया गया है।

- (ई) विशेष प्रस्ताव से संबंधित आबंटन प्रक्रिया इस प्रस्ताव के पास होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी बशर्ते कि किसी विनियामक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार से आबंटन का अनुमोदन या अनुमति लंबित न हो। 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की गणना ऐसे आवेदन के आदेश की तारीख या अनुमोदन अथवा अनुमति की तारीख, जैसा भी मामला हो, से की जाएगी।
- (एफ) चूंकि यह संपूर्ण अधिमानी निर्गम बैंक के बहुतांश शेयरधारक तथा प्रवर्तक भारत सरकार के लिए प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (जी) बैंक के इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं।
- (एच) भारत सरकार को निर्गमित किए जाने वाले एवं आबंटित सभी इक्विटी शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदनों की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लॉक होंगे।
- (आई) भारत सरकार के सम्पूर्ण पूर्व अधिमानीत धारिता को संबंधित तारीख से ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 माह की अवधि तक लॉक किया जाएगा।
- (जे) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो यह प्रमाणित करता है कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा।
- (के) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डिमैट फार्म में हैं तथा बैंक सूचीबद्धता विनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।
- (एल) संबंधित तिथि से पूर्व के छः माह के दौरान भारत सरकार द्वारा बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा गया है।
- (एम) बैंक यह स्वीकार करता है कि वह जहां कहीं ऐसा करना आवश्यक हो, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनः गणना करेगा।
- (एन) बैंक यह स्वीकार करता है कि मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि इन विनियमों में निर्धारित समय में नहीं भुगतान कर दी जाती, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां तब तक लॉकड-इन रहेंगी, जब तक कि यह राशि आबंटिती द्वारा भुगतान नहीं कर दी जातीं।
- (ओ) चूंकि बैंक या उनके प्रवर्तक या उनका कोई भी निदेशक जानबूझकर चूककर्ता नहीं हैं, इसलिए आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची VI में निर्दिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- (पी) बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध करने संबंधी अन्य बातों के साथ - साथ यह भी प्रावधान है कि जब आगे शेयरों के आबंटन के द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाएगा, तो ऐसे शेयरों के लिए सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान के लिए प्रस्ताव किया जाएगा, जब तक कि वे सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से इसके विपरीत निर्णय न लें। चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अतिरिक्त पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव है, अतः उक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। साथ ही आईसीडीआर विनियमावली, के विनियम 160 के अंतर्गत भी यह आवश्यक है।

आपके निदेशक इस एजेंडा की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

इस बैठक के एजेंडा में बैंक के किसी निदेशक का कोई हित या संबंध नहीं है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 26 फरवरी, 2019

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of Union Bank of India will be held on **Tuesday, March 26, 2019 at 11:00 AM at Rama & Sundri Watumull Auditorium, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020** to transact the following business:

Issue of Equity Shares on Preferential Basis to Government of India (GoI) upto Rs. 4,112 Crore.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**“the Act”**) and Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended from time to time (**“the Regulations”**) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**“RBI”**), Government of India (**“GOI”**), Securities and Exchange Board of India (**“SEBI”**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**“ICDR Regulations”**) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**“Listing Regulations”**), consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to **52,15,62,658 (Fifty Two Crore Fifteen Lakh Sixty Two Thousand Six Hundred Fifty Eight)** equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of **Rs. 78.84 (Rupees Seventy Eight and Eighty Four Paise Only)** per share including premium of **Rs. 68.84 (Rupees Sixty Eight and Eighty Four Paise Only)** per share determined in accordance with Regulation 164(1) of ICDR Regulations and aggregating up to **Rs.4,112 Crore (Rupees Four Thousand One Hundred and Twelve Crore Only)** to Government of India (i.e. President of India) on Preferential Basis.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Preferential Issue Price, as per the ICDR Regulations for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned equity shares shall be **Friday, February 22, 2019.”**

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall rank *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or anyone of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: February 26, 2019

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed to this notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Central Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021**, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Wednesday, March 20, 2019** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Central Office of the Bank at the address given above, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Wednesday, March 20, 2019**.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representatives should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be.

5. CUT OFF DATE

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders shall be reckoned as on **Tuesday, March 19, 2019**.

6. E-VOTING

- I. Pursuant to provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide to shareholders the facility to exercise their right to vote at the EGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services.
- II. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM (“remote e-voting”) will be provided by **Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)**.
- III. The facility for voting shall also be made available at the venue of the EGM and the shareholders attending the meeting who have not casted their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- IV. The shareholders who have casted their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- V. The remote e-voting period commences on **Saturday, March 23, 2019 at 9:00 AM (IST)** and ends on **Monday, March 25, 2019 at 5:00 PM (IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Tuesday, March 19, 2019**

may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

VI. The process and manner for remote e-voting are as under:

- (i) The shareholders should log on to the e-Voting website **www.evotingindia.com**.
- (ii) Click on **Shareholders/Members**.
- (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

PAN	- Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) - Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number in the PAN field which is printed on Postal Ballot Form or provided in the Email sent to you by CDSL.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	- Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in DD/MM/YYYY format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. - If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the User ID in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

- (vii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- (viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**
- (ix) For Shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN of “**Union Bank of India**” to vote.
- (xi) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xiv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

- (xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xvii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xviii) **Note for Non - Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- VII. All grievances connected with the facility for e-voting may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Ltd., A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.
- VIII. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.
- IX. Mr. Ankur Kumar, M/s Ezy Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner. He shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for e-voting to be conducted at the EGM.
- X. The Chairman of the meeting shall after commencement of the meeting allow voting for all those shareholders who are present at the EGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- XI. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM but not later than 48 hours of the conclusion of the EGM, submit a consolidated scrutinizer’s report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the meeting or any other person authorised by him.
- XII. The consolidated results of remote e-voting and voting at the venue alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to further strengthen the capital position of the Bank under Basel III norms, the Bank is seeking approvals from its shareholders to raise capital funds by way of allotment of equity shares on preferential basis to Government of India.

The Government of India, Ministry of Finance vide their letter dated February, 19, 2019 conveyed their decision of capital infusion to the tune of Rs. 4,112 crore in our Bank during the current financial year by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India. The Government of India has remitted the said amount on February 21, 2019 and the same is being maintained by the Bank as “Share Application Money pending allotment”.

- b)** The Bank will issue maximum **52,15,62,658 (Fifty Two Crore Fifteen Lakh Sixty Two Thousand Six Hundred Fifty Eight)** equity shares to the Government of India in the proposed preferential issue.
- c)** Government of India shall subscribe to the entire Preferential Issue. The Issue Price is determined in accordance with Regulation 164 (1) of ICDR Regulations. The Issue price so determined is **Rs. 78.84 (Rupees Seventy Eight and Eighty Four Paise Only)** including a premium of **Rs. 68.84 (Rupees Sixty Eight and Eighty Four Paise Only)** per Equity Share of the face value of **Rs.10.00 (Rupees Ten Only)** considering that the Relevant Date for ascertaining the Issue Price is Friday, February 22, 2019.
- d) Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:**

Sr. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares held	% of shareholding	No. of Shares held	% of shareholding
1.	Government of India	78,79,14,581	67.43	1,30,94,77,239	73.98
2.	Others (Public)	38,06,58,800	32.57	46,06,58,800	26.02
	Total	1,16,85,73,381	100.00	1,77,01,36,039	100.00

Note: The Bank is also in process of issuing upto 8,00,00,000 (Eight Crores) new equity shares to the eligible employees of the Bank under Union Bank - ESPS approved by the shareholders on February 14, 2019. The no. of shares & percentage of shareholding after the issue of shares pursuant to ESPS is calculated taking into consideration issue of maximum equity shares i.e. 8,00,00,000 under ESPS.

- e)** The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of such resolution provided that any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.
- f)** As the entire preferential issue will be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- g)** The equity shares of the Bank have been listed for more than six months.
- h)** All the equity shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Trading Approvals.
- i)** The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked-in from the Relevant Date upto a period of six months from the date of Trading Approval.
- j)** The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k)** All the equity shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the provisions of Listing Regulations.
- l)** The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

- m) The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.
- n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottees.
- o) As the Bank or its Promoter or any of its Directors is not a wilful defaulter, disclosures as specified in Schedule VI to the ICDR Regulations are not applicable.
- p) Listing Regulations provide *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a General Meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 160 of the ICDR Regulations.

Your Directors recommend passing of the special resolutions mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board of Directors



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: February 26, 2019

निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021.

प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म "बी")

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

रजि. फोलिओ क्र.
(यदि डिमैटीरियालाइज नहीं किया गया है)
डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी
(यदि डिमैटीरियालाइज किया गया है)

मैं/हम _____ राज्य _____ के _____ जिले के निवासी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री/श्रीमती _____ को मंगलवार, 26 मार्च, 2019 को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड सुंदरी वाटुमल आडिटोरियम, विद्यासागर, प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020 में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं।

_____ 2019 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया
रसीदी
टिकट
लगाए

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा जबतक
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
 - एक निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
- प्रॉक्सी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, बशर्तें उनके अंगूठे के निशान इसके साथ संलग्न हैं तथा इसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- निम्न के साथ प्रॉक्सी
 - मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार (यदि कोई) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले अर्थात बुधवार 20 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा कर दिया जाना चाहिए.
- जबतक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- वैकल्पिक रूप से दो अनुदान ग्राहियों के पक्ष में अनुमत किए गए प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- शेयरधारक ने जिस असाधारण सामान्य बैठक से संबंधित प्रॉक्सी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

PROXY FORM (FORM 'B')
 (to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____
 _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder(s)
 of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of
 _____ in the district of _____ in the state of _____
 or failing him / her, Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district
 of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on
 my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting (EGM)** of the shareholders of Union Bank of India to be held
 on **Tuesday, March 26, 2019 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2019.

Please
 Affix
 Revenue
 Stamp

 Signature of Proxy

 Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with -
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the **Extraordinary General Meeting** i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, March 20, 2019**.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the **Extraordinary General Meeting** to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

केन्द्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टें तथा

अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में अपना ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

वे अपनी सहमति इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें:

डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,

एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 093

टेली : 022-66712001-6

ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &

OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to Register an email ID in their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.

Unit : Union Bank of India,

Plot No.B-5, Part B, Crosslane,

MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.

Tel. No.:022-66712001- 6

E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

प्रति,

डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन,

एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 093

टेली : 022-66712001-6

ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/ हम _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेट गवर्नेंस के अधीन हरित पहल उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर _____

ई-मेल आईडी _____ @ _____

मोबाईल नम्बर _____

मैं / हम इस आशय से वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई-मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे.

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

Date:

To,

Datamatics Business Solutions Ltd.

Unit : Union Bank of India,

Plot No.B-5, Part B, Crosslane,

MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.

Tel. No.:022-66712001- 6

E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number _____

Email ID _____ @ _____

Mobile Number _____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

Signature of the First/Sole Shareholder

